2022/254 न्यायालय
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

14/3/23
वकील वादी/वकुलाय उप०/बार का कार्य स्थगन है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली दिनांक 21/5/23 को पेश हो।

16/12/22
03/11/22
शांति देवी
सरकार

20/6/23 मेरा मानना है कि दिनांक 21/5/23 को हड़ताल होने कारण पत्रावली आज पेश है। वादी वकील उपस्थित अपीली अनु० पत्रावली का अवलोकन किया गया, न्यायालय के विचाराधीन प्रावधान 14(5) से सम्बन्धित प्रकरण बड़नगरी पुत्रों को मोटे प्रकरण कलम उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ प्रकरण 16/67/2023 निर्णय दिनांक 20.3.23 न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के आदेश आदेश 1117 दिनांक 2.3.22 को निरस्त कर दिया गया है। अतः विचाराधीन प्रावधान 14(5) में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने पर प्रावधान 14(5) की कार्यवाही छोड़ कि जाती है। पत्रावली अभिलेख मुकर होकर अपील उपरान्त है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)